

प्रधानाचार्य और अधीक्षक अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रेक्टिस

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने लिया निर्णय

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर की मंजूरी के बाद प्रधनाचार्य शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

चिकित्सा मंत्री खीवसर ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में मरीज भार अत्यधिक होने के साथ ही यहां प्रशासनिक कार्यों की अधिकता रहती है और विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्पादन किया जाता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक रूप से दक्ष एवं कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रधानाचार्यों, अतिरिक्त प्रधानाचार्यों एवं अधीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इस जनहितैषी निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

विभागाध्यक्ष एवं यूनिट हैड भी नहीं बन सकेंगे

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि परिपत्र के अनुसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य जैसे पदीय कर्तव्यों के लिए एक चैथाई से ज्यादा समय नहीं देंगे।

■ मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी

चयनित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या यूनिट हैड बनने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में घोषणा पत्र भी देना होगा। उन्हें यह भी शपथ पत्र देना होगा कि वे पीएमसी के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे।

समिति करेगी चयन, अधिकतम आयु 57 वर्ष

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि राजकीय एवं राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद के लिए वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पात्र शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। यदि महाविद्यालय में पात्र चिकित्सक-शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र चिकित्सक भी आवेदन कर सकेंगे। इस पद पर नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। समिति में कार्मिक विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव तथा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या मारवाड़ चिकित्सा महाविद्यालय के कुलपति सदस्य होंगे। इस पद पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य के पद हेतु अधीक्षक या

अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव एवं विभागाध्यक्ष के पद पर 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

प्रधानाचार्य का स्थानांतरण भी संभव

परिपत्र के अनुसार समिति द्वारा प्रधानाचार्य पद के लिए 3 चिकित्सा अधिकारियों का पैनेल बनाया जाएगा। सक्षम स्तर से पैनेल के अनुमोदन के उपरंत चयनित अधिकारी को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। राज्य हित में इन चयनित प्रधानाचार्यों को अन्य मेडिकल कॉलेज में भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। इनका कार्यकाल प्रथमतः 3 वर्ष का होगा। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की अभिवृद्धि प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन उपरांत की जा सकेगी। प्रधानाचार्य द्वारा पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने या उस पर घृष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता एवं गंभीर आरोप होने पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या अन्य सक्षम अधिकारी अथवा समिति से जांच कराई जा सकेगी।

वरिष्ठतम आचार्य बनेंगे अधीक्षक

इसी प्रकार अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी परिपत्र के अनुसार एकल विंशष्टता युक्त शैक्षणिक चिकित्सालयों में संबंधित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या मारवाड़ चिकित्सा महाविद्यालय के कुलपति सदस्य होंगे। इस पद पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य के पद हेतु अधीक्षक या

इसी प्रकार अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी परिपत्र के अनुसार एकल विंशष्टता युक्त शैक्षणिक चिकित्सालयों में संबंधित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या मारवाड़ चिकित्सा महाविद्यालय के कुलपति सदस्य होंगे। इस पद पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य के पद हेतु अधीक्षक या

ऋण वसूली अधिकरण ने लगाई लोक अदालत

जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 नवम्बर को ऋण वसूली अधिकरणों में लंबित मुकदमों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जयपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण के लालकाली शांतिप सेन्टर, टॉक रोड, जयपुर स्थित कार्यालय में भी विशेष लोक अदालत आयोजित हुई।

इस लोक अदालत को सफल बनाये जाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा भी सभी बैंकों के चैयरमैन, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सभी इस लोक अदालत में सक्रिय योगदान प्रदान एवं अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु अपने अधिनस्थ सभी अधिकारियों को भी सक्षमताक सहयोग हेतु निर्देशित करें ।अधिकरण के पीठसीन अधिकारी विमल गुप्ता द्वारा सभी बैंकों के महाप्रबन्धक व उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की। जिसमें सभी बैंक अधिकारियों द्वारा इस लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण कर लोक धन की वसूली के लिए अधिकतम प्रयास किये जाने का आश्वासनदिया गया है।लोक अदालत के लिए डीआरटी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा भी कोशिशें की जा रही है।

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि

सरकार की ओर से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, हर घर नल अभी चल रही है जिसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिल रहा है।

महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री जयश्री गर्ग, भाजपा प्रदेश मंत्री स्टेपी चौहान, जयपुर शहर के सच प्रभारी नरेश बंसल, तथा भाजपा प्रदेश मंत्री अजीत मांडन ने भी शिरकत की।

■ भागवत ने कहा कि “सहकार, कृषि और उद्योग हमारे विकास के आधार स्तंभ हैं।”

राज्य के आधार पर। पुराने समय में जब राज्य अनेक थे तब भी हम एक देश थे, पराधीन थे तब भी एक देश थे। उन्होंने कहा कि समाज की स्वस्थ अवस्था का नाम समाज का संगठन है। उन्होंने कहा कि सहकार, कृषि और उद्योग हमारे विकास के आधार स्तंभ हैं। कृषि, व्यापार, उद्योग परस्पर साथ आकर परस्पर निर्भर होकर तीनों एक साथ प्रगति करें। छोटे और मध्यम उद्योग अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करते हैं।

इन उद्योगों को अपने देश के अंदर सुचारु रूप से चलने का वातावरण देना ये बड़े उद्योगों का काम है। छोटे उद्योगों को रोजगार, कौशल, उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना चाहिए। यह करते समय व्यापार और खुशी इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। खुशी आधारित उद्योगों से देश में वास्तविक समृद्धि पैलूँ।

इससे पूर्व राजस्थान क्षेत्र संघचालक रमेश चंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. हेमंत सेठिया ने किया।

है, तो उसी संस्थान में कार्यरत अगले वरिष्ठ आचार्य को अधीक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बहुविंशष्टता वाले शैक्षणिक चिकित्सालयों में अधीक्षक की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन एवं एंकेडमिक) एवं संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति द्वारा पात्र आवेदकों का साक्षात्कार लेकर नियुक्ति हेतु नामों का पैनेल तैयार किया जाएगा, जिसमें से राज्य सरकार किसी एक चिकित्सक को अधीक्षक नियुक्त करेगी।

अन्य कॉलेज के चिकित्सक भी कर सकेंगे आवेदन

बहु विंशष्टता युक्त चिकित्सालयों के अधीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत विषयों के लिए आचार्य या आचार्य पात्र होंगे, जो कम से कम 5 वर्ष की सेवा इन पदों पर पूर्ण कर चुके होंगे।

इनके उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो इस योग्यता के सबसे करीब हों, उनका चयन किया जा सकेगा। अगर मेडिकल कॉलेज में पात्र चिकित्सक उपलब्ध नहीं होंगे तो केंद्र या राज्य सरकार के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र चिकित्सक को आवेदन की अनुमति होगी। अधीक्षक के पद पर आवेदन करने वाले चिकित्सकों को इस पद पर

पूर्णकालिक कार्य करने का शपथ पत्र देना होगा। वे अपने पदीय कर्तव्यों पर एक चैथाई से अधिक समय व्यतीत नहीं कर सकेंगे तथा एचओडी एवं यूनिट हैड के साथ ही निजी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। इनकी नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्ष के लिए की जाएगी, जिसे प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

वर्तमान में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों एवं कार्यों के संबंध में एकरूपता नहीं है। इसे देखते हुए अब यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 5 से अधिक अतिरिक्त प्रधानाचार्य नहीं होंगे। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन हेतु इनके दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।

ये एंकेडमिक, रिसर्च एवं फैकल्टी अफेयर्स, स्टूडेंट अफेयर्स, प्रशासन तथा क्लिनिकल एवं हॉस्पिटल सेवाओं से संबंधित दायित्व संभालेंगे। सभी अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा इन पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ आचार्यों में से की जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्षों के लिए की जाएगी। यदि किसी अतिरिक्त प्रधानाचार्य की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं तो उसे समय

से पहले भी हटाया जा सकेगा। तीन साल की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने वाले अधिकारी को सक्षम स्वीकृति उपरांत एक-एक वर्ष की अवधि के लिए तीन बार पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा।

जयपुर (कासं)। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पॉण्ड श्रेणी में टांका निर्माण के कार्य किए जा सकेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुरोध को केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री ने गत माह केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात कर निजी कृषि भूमि पर टांका निर्माण कार्य पूर्व की भांति जारी रखने का आग्रह किया था। श्री शर्मा ने कहा कि रेगिस्तानी जिलों में टांका निर्माण जल सुरक्षा, कृषि विकास और जलवायु अनुकूल

हरमाड़ा हादसे पर उपमुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक

जयपुर । हरमाड़ा में गुरूवार को पुनः भीषण सड़क हादसे को लेकर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने दुर्घटना की विस्तृत समीक्षा करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुःखद है और इससे हुई जनहानि की पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के सुदृढ उपायों और आपातकालीन राहत व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। उन्होंने दुर्घटना में प्रभावित सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने किया निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण

कुछ आवासों की घटिया नींव देखकर कमिश्नर नाराज हुई, इंजीनियर्स को फटकार लगाते हुए जेसीबी से तुड़वाई नींव

जयपुर (कासं)। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने गुरूवार को निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण किया। वे इंजीनियर्स को साथ लेकर मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन बुलाकर मकानों की नींव खुदवाकर जांच की।

ज्ञात रहे कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर के महला क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों जैसे कि

■ जयपुर के महला क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों के लिए 365 स्वतंत्र आवास बनावा रहा है हाऊसिंग बोर्ड

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी के लिए 365 स्वतंत्र आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। यह परियोजना राज्य सरकार की बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत संचालित की जा रही है। आवासन आयुक्त

राजस्थान का 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

सीकर के बजरंग लाल जैथू ने प्रथम और श्रीगंगानगर के खरलां जल उपभोक्ता संगम ने हासिल किया तृतीय पुरस्कार

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की जल संरक्षण और इसके संचयन के क्षेत्र में नई पहचान बन रही है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान संचालित कर जल संरक्षण और संचयन के कार्यों को नई दिशा दी है। इसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, पौधा रोपण, जल संप्रण और जल संरक्षण संचनाओं सम्बंधित कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से भूजल रिचार्ज संचरनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान (विद्यालय या महाविद्यालय के अलावा), सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे।

मनरेगा में फार्म पॉण्ड श्रेणी के अंतर्गत हो सकेगा टांका निर्माण का कार्य

■ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अनुरोध स्वीकार किया

आजीविका के लिये अत्यन्त उपयोगी, सस्ता और टिकाऊ समाधान है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए फार्म पॉण्ड का निर्माण महात्मा

रीको कराएगा आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में 9.85 करोड़ रु. के विकास कार्य



ही इस क्षेत्र में एलईडी एवं हाई मास्ट लाइट्स भी लगाई जाएंगी जिसके उपरान्त इस औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत सुविधायें भी अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के समकक्ष हो सकेंगी। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि रीको का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधायें विकसित की जायें जिससे उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाइयों का

प्रदेश में 3 दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक शुरु

जयपुर (कासं)। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरूवार को तीन दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल-2025 का आगाज हुआ।

निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने बताया कि प्रदेश के 63 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 12 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की बाल्यावस्था से ही उनमें स्वस्थ खेलकूद प्रतियोगिता और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ सके, इसके लिए 13 नवम्बर से 3 दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल-2025 का शुभारम्भ हुआ है। इस वर्ष खेलों की थीम “खेल-खेल में सीखें” रखी गई है। जिसमें स्थानीय और पारम्परिक खेलों को भी शामिल किया गया है। निदेशक ने बताया कि आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल-2025 में बच्चों के दो समूह बनाकर 3 से 4 और 4 से 6 का समूह बनाकर विभिन्न खेलकूद की गतिविधियां आयोजित की जा रही है।